आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

राजभाषा विभाग

राजभाषा संगोष्ठी सह कार्यशाला

दिनांक 3 फरवरी, 2026 को आरईसी मुख्यालय, गुरुग्राम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुरुग्राम के सदस्य कार्यालयों तथा आरईसी एवं आरईसीपीडीसीएल के कार्मिकों हेतु एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राजभाषा संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञ के रुप में सुप्रसिद्ध साहित्य चिंतक एवं भारत की माननीया राष्ट्रपति महोदया के अपर निजी सचिव डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र तथा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री आलोक अधिकारी आमंत्रित थे।

राजभाषा संगोष्ठी सह कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था :

- संघ की राजभाषा नीति के व्यावहारिक पक्षों पर जागरूकता उत्पन्न करना।
- सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को सरल एवं प्रभावी बनाना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की भूमिका पर विशेषज्ञों के अनुभवों से लाभान्वित होना।

संगोष्ठी के प्रथम सत्र में डॉ. मिश्र ने राष्ट्रपति भवन में हिंदी के प्रयोग के अपने विशेष अनुभव साझा करते हुए G20, BRICS जैसे मंचों पर हिंदी भाषणों का वैश्विक प्रभाव रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाया। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिंदी भाषणों का वैश्विक प्रभाव। उन्होंने हिंदी को "भावना की भाषा" बताते हुए कर्मचारियों को दैनिक कामकाज में इसका सहज उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता के व्यावहारिक उदाहरण साझा किए। उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर बताया कि कैसे जटिल प्रशासनिक कार्यों को भी सरल हिंदी में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री आलोक अधिकारी ने संघ की राजभाषा नीति के व्यावहारिक पक्ष एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 एवं संविधान के अनुच्छेद 343-351 पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में द्विभाषी फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करना, हिंदी में ई-मेल एवं कार्यवृत्त तैयार करना, तकनीकी शब्दकोश का उपयोग तथा उन्होंने सहकारिता मंत्रालय में हिंदी के कार्यों को सरल तरीके से करने के कई जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए।

संगोष्ठी के दौरान नराकास, आरईसी एवं आरईसीपीडीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से संवाद सत्र में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रश्न पूछे गए तथा आमंत्रित वक्ताओं द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए।

भारत सरकार की राजभाषा नीति (1963 अधिनियम) के अनुपालन में राजभाषा संगोष्ठी सह कार्यशाला का उद्देश्य नराकास, गुरुग्राम के सदस्य कार्यालयों, आरईसी एवं आरईसीपीडीसीएल के लगभग 100 कार्मिकों को राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना था।